

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
निगमित मुख्यालय

[मानव संसाधन निदेशालय]

विषय : दिनांक 8 अगस्त, 2013 तक के पेंशन की अद्यतन स्थिति ।

एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉइज यूनियन (डब्ल्यू.पी नंबर 5991/2012) द्वारा दायर मामले में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा 26 जुलाई, 2013 को हुई सुनवाई में अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश भी पारित किया गया है कि "अतः यह एक प्रथम दृष्टया मामला है जो सुस्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता (एएईयू) के पक्ष में है एवं जो उनको हुई क्षति को संतुलित करता है। यदि प्रार्थना अनुसार अंतरिम आदेश नहीं दिए जाते तो याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी। रिट याचिका के निपटान करने के दौरान 03 से 05 क्रम संख्या के प्रतिवादी (आरपीएफसी व सीपीएफसी) द्वारा की गई मांग को योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। हालांकि आज रिट याचिका के निपटान होने तक दिनांक 13/08/2012 के विवादित आदेश में निहित केवल रु.6,500/- प्रति माह की दर से पेंशन देने की मंजूरी को स्थगित रखा जाता है।"

उक्त आदेश की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

--हस्ता० --

(राजू दुरेहा)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

संलग्न : यथोक्त (दो पृष्ठ)